भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1018
दिनांक 29.11.2000 को उत्तर के लिए

हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करना

1018. श्री कृपाल परमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संवैधानिक उपबंधों और पहले से पारित संकल्प के अनुसार, हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (आई0डी0 स्वामी)

(क) से (ग): हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के संबंध में भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 343 में की गई व्यवस्था के अंतर्गत इसे संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ।

******

GOVERNMENT OF INDIA
(MINISTRY OF HOME AFFAIRS)
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1018
TO BE ANSWERED ON 29.11.2000

PROCLAMATION OF HINDI AS NATIONAL LANGUAGE

1018. SHRI KRIPAL PARMAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to proclaim Hindi as a national language accordin to the constitutional provisions and the resolution already passed;

(b) if so, by when it is likely to be implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(I.D. SWAMI)

(a)to(c): There is no provision in the constitution of India to proclaim Hindi as a National Language. Under the provision made in Article 343 of the constitution, it has the status of Official Language of the Union.

******